

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

16/4/26 पञ्चवली पेश डूरी साक्ष्यवादी में पत्रवाली कांसया के बयान लेखनद किए गए जो संलग्न पञ्चवली हैं पञ्चवली बहल निर्णय आगामी दिनांक 20/4/26 को पेश हो।  
३

20/4/2026 पत्रवाली पेश हुई / पत्रवाली में परोउर सरकार की बहस सुनी गई / पत्रवाली वास्ते निर्णय 5/5/2026 को पेश हो।  
३

05/5/26 पत्रवाली पेश डूरी पत्रवाली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रवाली को गुणानुगुण न मेरिट के आधार पर स्वीकार कर डिक्री जारी की गई। पत्रवाली तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रवाली नम्बर से कम होउर, दाखिल दफ्तर हो।



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ ( आर.ए.एस ) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 25/2026

दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... वादी

बनाम्

1. ऐजनदेवी पत्नी मांगीलाल जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
2. नरेश पुत्र मांगीलाल जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
3. हंसा पत्नी नरेश कुमार जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार सरकार।

02. एकपक्षीय – प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 05/05/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदारो की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर पानी भरा हुआ व मलबा पड़ा हुआ हैं। उक्त आराजी का कृषि उपयोग नही हो रहा है भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर पानी भरा होने व मलबा पड़ा होने से यह प्रतीत होता हैं कि खातेदार सदभावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादीगण को ग्राम मोगरवासा की आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस/ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया है।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम मोगरवासा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श- 1 हैं, पटवारी प0ह0 कास्यां द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण रिपोर्ट जो प्रदर्श- 2 हैं, ग्राम मोगरवासा की जमाबन्दी नकल संवत् 2076-2079 पेश की जो प्रदर्श- 3 हैं।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी - पटवारी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी-डब्ल्यू-1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि दिनांक 08.01.2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार ग्राम मोगरवासा के आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर पहुंची। मेरे द्वारा उक्त आराजी का मौका पर्चा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त आराजी पर वर्तमान में खनन कार्य होकर मौके पर पानी भरा हुआ है व मलबा पड़ा हुआ है। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा। खातेदार सदभावी कृषक नहीं हैं। उक्तानुसार प्रदर्श अंकित हैं। उक्त सभी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

### -: आदेश :-

अतः मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिर्कोर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 25/2026

दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... डिक्रीदार

बनाम्

1. ऐजनदेवी पत्नी मांगीलाल जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. नरेश पुत्र मांगीलाल जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. हंसा पत्नी नरेश कुमार जाति मीणा सा. कास्यां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

..... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 05 / 05 / 2026

डिक्री दिनांक : 05 / 05 / 2026

—: डिक्री :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 321/101 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

नीज \_\_\_\_\_ Nil \_\_\_\_\_ मुबलिया \_\_\_\_\_ Nil \_\_\_\_\_  
 बाबत \_\_\_\_\_ Nil \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर \_\_\_\_\_ Nil \_\_\_\_\_  
 फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक \_\_\_\_\_ Nil \_\_\_\_\_  
 का अदा करे ।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 05 वर्ष  
 2026 को जारी किया गया ।



(अजीत सिंह राठौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिनौरियाँ

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीस्तर बाबत इजराय हुक्मनामा मुनफरिफ नीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीस्तर बाबत इजराय हुक्मनामा मुनफरिफ मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिनौरियाँ